

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

[ 15/3/2016 ]

पृष्ठ - "अ"

बडनगर विधानसभा के अन्तर्गत मार्ग की जानकारी

विधान सभा तारकित प्रश्न क्रमांक 6206

स.क्र.	प्रश्नाधीन मार्ग का नाम एवं लम्बाई	योजना मद	स्वीकृति की राशि लाखों में	स्वीकृति वर्ष	एजेन्सियों का नाम जिन्हें ठेका दिया गया	कार्य की वर्तमान स्थिति	एजेन्सियों द्वारा किये गये कार्य का विवरण	किस अधिकारी द्वारा कार्य की गुणवत्ता देखे बिना मुगतान कर दिया	भुगतान की गई राशि का विवरण	मार्ग जीर्ण शोध होने के संदर्भ में ठेकेदार को कितने नोटिस जारी किये गये	प्रश्न दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किये जाने का कारण	कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	कार्य एजेन्सी द्वारा किये गये कार्य की जांच					
1	नर्सिंगा पीपलवार मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 6.90 कि.मी.	24-5054-(5226) Nabard	212.39	07-08	1. नेसरुज उयदेव केन्द्रस्थान देवास 2. नेसरुज सिंग डेवलपर्स इंदौर	मार्ग के 4.60 कि.मी. का निर्माण मार्ग वर्ष 2013 में किया गया मार्ग निर्मित 4.80 कि.मी. में से 2.60 कि.मी. की स्थिति सामान्य है, 2.00 कि.मी. में पैच वर्क है। मार्ग की शेष लम्बाई 2.30 कि.मी. का निर्माण किया जाना है।	5.98 कि.मी. अर्धवर्क एवं जी.एस. बी. तक का कार्य। 4.40 कि.मी. में डब्ल्यू बी.एम. जी 2 जी 3 एवं बी.टी. तक का कार्य एवं 0.20 कि.मी. सीमेंट कांक्रीट पैक्मेन्ट तथा 12 नग पुलियाओं का कार्य	गुणवत्ता परीक्षण उपरांत ही भुगतान किया गया है।	70.36 लाख।	-	वर्ष 2013 में मार्ग निर्माण के पश्चात् 2014 तक मार्ग अच्छी स्थिति थी। उसके पश्चात् मार्ग का 2.00 कि.मी. भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ठीक कराने हेतु नोटिस देने पर मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था। वर्ष 2015 के बाद ठेकेदार द्वारा केवल डब्ल्यू. बी.एम. के पैच बनाए गए तथा नोटिस देने के उपरांत भी क्षतिग्रस्त पैच नहीं बनाए गए। अतः शेष कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं में क्षतिग्रस्त भाग के सुधार कार्य को भी सम्मिलित किया गया है तथा उक्त सुधार होने वाले व्यय की वस्तुी ठेकेदार के उपलब्ध डिमाण्डिड राशि से की जावेगी। अब तक ठेकेदार को 12 नोटिस दिये गये हैं।	10	11	मार्ग जीर्ण शोध होने के संदर्भ में ठेकेदार को कितने नोटिस जारी किये गये	वर्ष 2013 में मार्ग निर्माण के पश्चात् 2014 तक मार्ग अच्छी स्थिति थी। उसके पश्चात् मार्ग का 2.00 कि.मी. भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ठीक कराने हेतु नोटिस देने पर मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था। वर्ष 2015 के बाद ठेकेदार द्वारा केवल डब्ल्यू. बी.एम. के पैच बनाए गए तथा नोटिस देने के उपरांत भी क्षतिग्रस्त पैच नहीं बनाए गए। अतः शेष कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं में क्षतिग्रस्त भाग के सुधार कार्य को भी सम्मिलित किया गया है तथा उक्त सुधार होने वाले व्यय की वस्तुी ठेकेदार के उपलब्ध डिमाण्डिड राशि से की जावेगी। अब तक ठेकेदार को 12 नोटिस दिये गये हैं।	12	13	14

परिशिष्ट प्रश्न सं. [ अ ]  
1 - पूर्व ठेकेदार नेसरुज उयदेव केन्द्रस्थान देवास को कार्य पूर्ण करने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 08/सा/40/15-16 दिनांक 04.07.2015 द्वारा कारी सूची में डाला गया है।  
2 - कार्य वर्ष 2013 से अधुना होकर लभित है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में जांच प्रतीत नहीं होती है।